"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 188] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 28 मई 2019 — ज्येष्ठ 7, शक 1941

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, रायपुर

अटल नगर, दिनांक 26 अप्रैल 2019

अधिसूचना

क्रमांक 09/पंग्राविवि/974/2019.– छत्तीसगढ़ शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय महानदी भवन रायपुर के द्वारा राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित अधिसूचना क्रमांक 522 शनिवार, दिनांक 25 नवम्बर 2017–अग्रहायण 4, शक 1939, दिनांक 13 नवम्बर 2017 को विलोपित करते हुये राज्य शासन एतद् द्वारा 14वें वित्त आयोग के अंतर्गत ग्राम पंचायतों के कुल आबंटन के 10% कार्य निष्पादन अनुदान के रूप में प्रदाय करने हेतु वितरण की नियम/प्रकिया निम्नानुसार निर्धारित करती है।

14वें वित्त आयोग अन्तर्गत कार्य निष्पादन अनुदान के वितरण हेतु प्रक्रिया

14वें वित्त आयोग की अवधि 2015–16 से 2019–20 तक (पांच वर्ष) है। 14वें वित्त आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2015–16 से मूल अनुदान तथा वर्ष 2016–17 से कार्य निष्पादन अनुदान ग्राम पंचायतों को देने का प्रावधान किया गया है। आयोग के प्रतिवेदन के अनुच्छेद संख्या 9.70 के अनुसार ग्राम पंचायतों को अनुदान का 90% अनुदान मूल अनुदान एवं 10% अनुदान कार्य निष्पादन के रूप में प्राप्त होगा।

14वें वित्त आयोग के अन्तर्गत वर्ष 2016–17 एवं 2017–18 में कार्य निष्पादन अनुदान का वितरण किया जा चुका है। अब वर्ष 2018–19 से 2019–20 तक 02 वर्षो के लिए ग्राम पंचायतों को चौदहवें वित्त आयोग अंतर्गत कार्य निष्पादन अनुदान वितरण हेतु निम्नानुसार मूल्यांकन के मानदंड निर्धारित किये जाते है :–

1- ग्राम पंचायत को कार्य निष्पादन अनुदान में 10% आबंटन की पात्रता के लिए निम्नलिखित शर्तों को पूर्ण करना होगा :–

i- कार्य निष्पादन अनुदान की दावा करने वाले ग्राम पंचायतों को लेखा परीक्षित वार्षिक लेखा अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करने होंगे, जो कि उस वर्ष जिसके लिए ग्राम पंचायत ने कार्य निष्पादन अनुदान का दावा प्रस्तुत किया है, उससे दो वर्ष पूर्व से अधिक समय से संबंधित नहीं होंगे। अर्थात् किसी ग्राम पंचायत को वर्ष 2018–19 के लिए वर्ष 2016–17 का परीक्षित लेखा तथा वर्ष 2019–20 के लिये वर्ष 2017–18 का परीक्षित लेखा प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

ii- कार्य निष्पादन अनुदान की पात्रता हेतु ग्राम पंचायतों को पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में अपनी स्वयं की आय के राजस्व में वृद्धि करनी होगी, और यह वृद्धि परीक्षित लेखा के माध्यम से परिलक्षित होना चाहिए।

वित्तीय वर्ष में निर्धारित तिथि पर दावा प्रस्तुत नहीं करने पर या संबंधित ग्राम पंचायत की कार्य निष्पादन की राशि कंडिका–03 में उल्लेखित प्रावधान अनुसार आबंटन उपरान्त अपात्र ग्राम पंचायतों को ना दिये जा पाने वाली राशि के साथ–साथ कोई भी अवितरित (वितरण हेतु शेष) राशि हो, तो वह 50 या अधिक पूर्णांक प्राप्त ग्राम पंचायतों को उनके द्वारा सूंपर्ण भार के परिपेक्ष्य में प्राप्तांक के औसत भार के आधार पर पुनः वितरित की जायेगी । किसी भी ग्राम पंचायत को प्रदाय की जाने वाली कार्य निष्पादन अनुदान की राशि उस ग्राम पंचायत को प्राप्त होने वाले मूल अनुदान की राशि से 05 गुना से अधिक नहीं होगी। ग्राम पंचायतों द्वारा कार्य निष्पादन अनुदान प्राप्त करने के लिए पात्रता संबंधी शर्तों को पूरा करने का विवरण देते हुए अपना दावा राज्य शासन द्वारा निर्धारित समयावधि के भीतर जिला पंचायत के माध्यम से राज्य शासन को प्रस्तुत करना होगा।

2- उपरोक्त दोनों शर्तों का पालन करने वाली ग्राम पंचायतों का मूल्यांकन निम्नानुसार अंकीय पद्धति (Scoring system) के आधार पर किया जावेगा :–

क्र.	अर्हता (वित्तीय वर्ष लिया जावे)	भार (Weightage)
i	वित्तीय वर्ष में ग्राम पंचायत के स्वयं के स्त्रोत के राजस्व की मात्रा में वद्धि	स्कोर (अंक)
	0 से अधिक 10 % तक	05
	10 से अधिक 25 % तक	10
	25 से अधिक 50 % तक	15
	50 % से अधिक	20
ii.	कार्य निष्पादन अनुदान दावा वित्तीय वर्ष की तुलना में चौदहवें वित्त आयोग अंतर्गत पिछले वर्ष के मूल अनुदान के संदर्भ में स्वयं के स्त्रोत के राजस्व का प्रतिशत	स्कोर (अंक)
	0 से अधिक 10 % तक	15
	10 से अधिक 20 % तक	20
	20 से अधिक 30 % तक	30
	30 % से अधिक	40
iii.	कार्य निष्पादन अनुदान दावा वित्तीय वर्ष* की तुलना में पिछले वित्तीय वर्ष में ग्राम पंचायत की खुले में शौचमुक्त (ODF) होने की स्थिति – हॉ – नहीं	 30 0
iv.	कार्य निष्पादन अनुदान दावा वित्तीय वर्ष की तुलना में पिछले वित्तीय वर्ष में ग्राम पंचायत में 0 से 2 वर्ष के शिशुओं के पूर्ण टीकाकरण (full immunization) होने की स्थिति – हॉ – नहीं	 10 0
	कुल पूर्णांक (i+ii+iii+iv)	100

*. ग्राम पंचायत को कार्य निष्पादन अनुदान प्राप्त करने के लिए अगले साल से ODF बने रहना अनिवार्य शर्त होगी।

3- ग्राम पंचायतों को कार्य निष्पादन अनुदान वितरण

ग्राम पंचायतों को कार्य निष्पादन अनुदान का वितरण अंकों के आधार पर अधोलिखित अनुसार किया जावेगा :–

स्कोर (प्राप्तांक)	कार्य निष्पादन अनुदान मात्रा की पात्रता
49 तक	आबंटन का 50 %
50 से 60 तक	आबंटन का 70 %
61 से 70 तक	आबंटन का 80 %
71एवं अधिक	आबंटन का 100 %

अतिरिक्त राशि का वितरण इस राजपत्र की कंडिकाओं में पूर्व वर्णित पद्धति से किया जाएगा।

4- 14वें वित्त आयोग के अनुशंसा पर कार्य निष्पादन अनुदान के वितरण हेतु राज्य शासन आवश्यक जानकारी जिला/जनपद/ग्राम पंचायत से उनके द्वारा तय प्रारूप में प्राप्त कर सकेगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रीता शांडिल्य, सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय,नया रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित – 2019.